राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं.एफ.1(1)डीओपी/ए-II/2019 जयपुर, दिनांक : 21.09.2022

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुसूची-II का संशोधन.-** राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019 से संलग्न अनुसूची-II में, शीर्ष **अधीनस्थ सेवा पद** के अधीन क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ संख्यांक 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% पदोन्नति द्वारा"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

21/9/22

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव

53/2022